भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **3478**

उत्तर देने की तारीख 10.8.2023

महिला उद्यमी

3478. श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री प्रतापराव जाधवः
श्री विद्युत बरन महतोः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार महिला उद्यमियों की संख्या कितनी हैं;

(ग) क्या सरकार को उन महिला उद्यमियों की संख्या की जानकारी है की जिनके उद्यम कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण स्थायी रूप से बंद हो गए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा राज्य-वार क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) चलाने वाली उन महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है जिनके उद्यम कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण स्थायी रूप से बंद हो गए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में महिलाओं के बीच उद्यमशीलता के विकास हेतु अन्य कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) महिलाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय कयर विकास योजना के अंतर्गत 'कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना' कार्यान्वित करता है, जो कयर उद्योग में कार्यरत महिला कारीगरों के कौशल विकास के उद्देश्य से संचालित एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कयर कताई में दो माह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी प्रशिक्षुओं को मासिक वृत्तिका प्रदान की जाती है। मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन भी किया जाता है, जो परंपरागत कारीगरों और ग्रामीण/शहरी बेरोज़गार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म-उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोज़गार अवसरों के सृजन के उद्देश्य से एक प्रमुख ऋण संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमा क्षेत्र आदि जैसी विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए उच्चतर सब्सिडी प्रदान की जाती है। "कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना" के अंतर्गत प्रशिक्षित कारीगरों को कयर इकाइयां स्थापित करने के लिए पीएमईजीपी स्कीम के माध्यम से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उद्यम पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत महिला उद्यमियों की कुल संख्या अनुबंध I में है।

(ग) से (ङ): दिनांक 01.07.2020 से 04.05.2023 (इस तारीख को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि कोविड सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं रह गया है) तक की अवधि के दौरान महिला स्वामित्व वाली बंद एमएसएमई की कुल संख्या अनुबंध II में है।

एमएसएमई (महिला स्वामित्व एमएसएमई सहित) पर कोविड के प्रभाव को कम करने के लिए, सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत बहुत सी पहलें शुरु की हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

i. एमएसएमई सहित व्यवसाय के लिए 5.00 लाख करोड़ रु. की आपातकालीन ऋण लाइन गारंटी स्कीम;
ii. आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रु. का इक्विटी संचार;
iii. एमएसएमई के वर्गीकरण हेतु संशोधित मानदंड;
iv. 200 करोड़ रु. तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदाएं नहीं;
v. जून, 2020 में "चैंपियंस" ऑनलाइन पोर्टल शुरु किया गया है ताकि शिकायतों के समाधान और एमएसएमई के पथ-प्रदर्शन सहित ई-गर्वनेंस के बहुत से पहलुओं को शामिल किया जा सके;
vi. एमसएमई में खुदरा और थोक व्यापारियों का समावेशन;
vii. एमएसएमई की स्थिति में ऊपर की ओर परिवर्तन के मामले में 3 वर्षों के लिए गैर-कर लाभ प्रदान किया गया है;
viii. दिनांक 11.01.2023 को उद्यम सहायता प्लेटफार्म का शुभारंभ ताकि प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाया जा सके।

(च) लोक प्रापण नीति में एक संशोधन के माध्यम से, सरकार ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से उनकी वार्षिक खरीद के न्यूनतम 3% खरीद करने का अधिदेश दिया है। मंत्रालय, महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई सहित एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए बहुत सी अन्य स्कीमों का कार्यान्वयन भी करता है जिनमें नामतः सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), टूल रूम और प्रौद्योगिकी केंद्र, परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति), प्रापण और विपणन सहायता स्कीम, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) शामिल हैं।

***

अनुबंध I

दिनांक 01/07/2020 से 08/08/2023 तक वर्ष-वार एमएसएमई मंत्रालय के उद्यम पोर्टल पर महिला स्वामित्व वाले पंजीकृत एमएसएमई की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या दर्शाता हुआ विवरण

क्रं. सं.	राज्य	उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई की संख्या			
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24, 8.8.23 तक
1	आंध्र प्रदेश	12,836	34,691	70,928	34,970
2	अरुणाचल प्रदेश	160	690	1,459	431
3	असम	2,912	20,447	37,562	15,224
4	बिहार	14,515	38,543	53,517	18,331
5	छत्तीसगढ़	4,189	9,645	18,160	7,207
6	गोवा	1,129	1,864	3,765	1,444
7	गुजरात	37,507	54,746	78,690	33,828
8	हरियाणा	12,585	24,578	41,962	20,591
9	हिमाचल प्रदेश	1,891	4,596	8,804	3,162
10	झारखंड	5,806	14,088	33,858	9,310
11	कर्नाटक	29,788	57,588	96,315	35,171
12	केरल	14,732	25,243	50,261	16,815
13	मध्य प्रदेश	14,333	30,282	53,103	20,441
14	महाराष्ट्र	123,341	191,492	265,171	95,872
15	मणिपुर	4,037	5,183	9,887	1,271
16	मेघालय	196	642	2,308	1,154
17	मिजोरम	421	1,516	4,176	1,483
18	नागालैंड	194	1,109	3,047	1,408
19	ओडिशा	7,852	20,752	38,279	14,632
20	पंजाब	13,579	28,636	58,038	34,053
21	राजस्थान	29,500	46,266	69,259	29,693
22	सिक्किम	87	600	1,032	521
23	तमिलनाडु	70,501	127,325	201,679	79,530
24	तेलंगाना	23,218	35,459	56,126	26,272
25	त्रिपुरा	227	799	4,075	3,246
26	उत्तर प्रदेश	30,611	58,574	101,032	81,503
27	उत्तराखंड	4,140	8,539	14,093	5,542
28	पश्चिम बंगाल	9,419	25,618	47,330	28,588
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	462	738	990	305
30	चंडीगढ़	824	1,524	1,925	966
31	दिल्ली	13,464	21,882	31,647	12,160
32	जम्मू एवं कश्मीर	3,008	13,352	24,398	15,465
33	लद्दाख	81	354	512	383
34	लक्षद्वीप	5	20	58	11
35	पुदुचेरी	1,051	2,294	3,464	1,356
36	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	453	700	930	376
कुल		**489,054**	**910,375**	**1487,840**	**652,715**

दिनांक 08/08/2023 को अपराह्न 06:40 बजे की रिपोर्ट

अनुबंध II

उद्यम पोर्टल के अनुसार, दिनांक 01.07.2020 से 04.05.2023 की अवधि के दौरान बंद हुए महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई की संख्या

क्र. सं.	राज्य	बंद हुए महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई की संख्या			
		वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24, 04.05.2023 तक
1	आंध्र प्रदेश	-	29	69	12
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	1	-
3	असम	-	2	8	-
4	बिहार	2	85	74	7
5	छत्तीसगढ़	-	10	18	-
6	गोवा	-	1	5	-
7	गुजरात	10	81	185	33
8	हरियाणा	3	14	66	8
9	हिमाचल प्रदेश	-	1	16	-
10	झारखंड	-	15	23	2
11	कर्नाटक	-	61	113	15
12	केरल	-	21	67	6
13	मध्य प्रदेश	-	15	96	3
14	महाराष्ट्र	1	340	647	73
15	मणिपुर	-	-	15	1
16	मेघालय	-	-	-	-
17	मिजोरम	-	1	1	-
18	नागालैंड	-	-	3	-
19	ओडिशा	-	20	36	2
20	पंजाब	-	26	12	1
21	राजस्थान	2	40	172	21
22	सिक्किम	-	-	-	-
23	तमिलनाडु	-	126	420	44
24	तेलंगाना	-	22	21	3
25	त्रिपुरा	-	1	-	-
26	उत्तर प्रदेश	3	61	170	55
27	उत्तराखंड	1	4	42	3
28	पश्चिम बंगाल	1	19	47	4
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	3	1	-
30	चंडीगढ़	-	1	-	-
31	दिल्ली	-	33	84	21
32	जम्मू एवं कश्मीर	-	4	15	4
33	लद्दाख	-	-	-	-
34	लक्षद्वीप	-	-	-	-
35	पुदुचेरी	-	2	11	2
36	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	-	2	6	-
कुल		**23**	**1,040**	**2,444**	**320**

दिनांक 09/08/2023 को अपराह्न 12:05 बजे की रिपोर्ट